UPSR010007742020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांगिवद पाक्सो एक्ट), श्रावस्ती।

पीठासीन अधिकारी– (Parmeshwar Prasad), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP**06363

एफ०आर०केस नम्बर 15/2020

श्रीमती अलीमुन बनाम कौसर अली आदि

मु०अ०स० 186/2010

धारा 376,506 भा०द०स० व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट

थाना मल्हीपुर] जनपद श्रावस्ती।

दिनांक 11-08-2021

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुयी।

आवेदिका / परिवादिनी अलीमुन की तरफ से प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र विरूद्ध अन्तिम रिपोर्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिनी की पुत्री जैनब घटना के
समय नाबालिग थी, प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के पति फरीद अली ग्राम बदला , मिटटी में चले गये थे । प्रार्थिनी की पुत्री को घर में अकेला पाकर विपक्षी कौसर अली ने बसाजिश अमीरूल जो कि प्रार्थिनी की जेठानी हैं , प्रार्थिनी के पुत्री के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उक्त बलात्कार के बावत थाना मल्हीपुर में अपराध संख्या 180/2020 कायम कराया । आवेदिका की पुत्री जैनब का मेडिकल एवं बयानात कराया गया, इसके बावजूद विवेचक ने विपक्षीगण से साजिश करके उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत झूठे एवं फर्जी कागजात एवं झूठे बयानात के आधार पर फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दी गयी जो हर तरह से निरस्त होने योग्य है। विपक्षीगण कौसर अली आदि ने माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ लखनऊ में रिट पिटीशन प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 09-07-2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त करते हुये विपक्षी कौसर अली पर मु० पच्चीस हजार रूपया का जुर्माना भी आरोपित किया है। अतः प्रार्थना है कि फाइनल रिपोर्ट दिनांकित 26-09-2020 निरस्त फरमा कर विपक्षीगण को तलब फरमाकर दण्डित किया जाय।

आवेदिका / परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

Digitally signed by Parmeshwar Prasad
Date: 2021.08.12 15:27:36 IST
Reason: ASJ Rape Along with Pocso Act
Location: District and Sessions Court
Svi

पत्रावली परिशीलन से स्पष्ट है कि वादिनी द्वारा मुकदमा यह कहकर पंजीकृत कराया गया कि दिनांक 10.12.2019 को विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 के साथ उसके घर आया था उस समय परिवादिनी व उसके पति घर पर नहीं थे । विपक्षी संख्या 2 साजिश के तहत शौच के लिये चली गयी तब परिवादिनी की पुत्री को अकेला पाकर विपक्षी संख्या 1 ने उसके साथ बलात्कार कारित किया वजान से मारने की धमकी दिया।

इस मामले में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट इस आधार पर लगायी गयी है कि कथित घटना वाले दिन से काफी पहले वर्ष 2018 में ही मुम्बई में परिवादिनी की पुत्री पीडिता की शादी विपक्षी संख्या 1 के साथ हुयी थी इस मामले की पीडिता विपक्षी संख्या 1 कौसर अली की विवाहिता पत्नी है विवेचक द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि परिवादिनी की पुत्री पीडिता व विपक्षी संख्या 1 परिवादिनी के पति के भाई कुतुबुददीन के साथ रहते थे कुतुबुददीन के कोई आल औलाद नहीं था । बाद में परिवादिनी की पुत्री व विपक्षी संख्या 1 के मध्य कुछ विवाद हो गया और कुतुबुददीन की सम्पत्ति को लेकर विपक्षी संख्या 1 व परिवादिनी के पति के बीच भी विवाद है इसी आपसी विवाद के कारण इस मामले की पीडिता मुम्बई से गांव आ गयी थीं। दिनांक 10.12.2019 को जो कथित घटना बतायी गयी है उसके पश्चात भी परिवादिनी द्वारा अपनी पुत्री को विपक्षीगण के साथ सुलह समझौता के तहत भेजा गया है। इसलिये दिनांक 10.12.2019 की बलात्कार की जो घटना दिखाकर यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया है वह सही नहीं है। क्योंकि यदि दिनांक 10.12.2019 की घटना सही होती तो इसके तत्काल बाद समझौते के तहत परिवादिनी द्वारा अपनी पुत्री पीडिता को विपक्षीगण के साथ नहीं भेजा जाता लेकिन इस मामले में तथ्य यह भी है कि पीडिता ने अपने धारा 161 व 164 सी०आर०पी०सी० के बयान में घटना का समर्थन किया है। इसलिये न्यायालय के मत में मामले में न्यायालय के स्तर से जांच किया जाना उचित होगा । ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस मत की है कि अपराध संख्या 186/2020 धारा 376 , 506 भा०द०स० व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मल्हीपुर के मामले में बाद विवेचना विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट निरस्त

होने तथा परिवादिनी का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 186/2020 धारा 376 , 506 भा०द०स० व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मल्हीपुर जनपद श्रावस्ती के मामले में विवेचक द्वारा वाद विवेचना प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या 01/2020 निरस्त की जाती है। इस मामले में परिवादिनी की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाय।

पत्रावली वास्ते बयान 200 द०प्र०स० दिनांक 01,09.2021 को पेश हो।

दिनांक 12-08-2021

परमेश्वर प्रसाद
अपर सत्र न्यायाधीश
(रेप एलांगिवद पाक्सो एक्ट)
श्रावस्ती।